न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 110/2021 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/244

उनवान

राजवीर सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।
.............अपीलान्ट/प्रतिवादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।
..........वादी रेस्पोडेन्ट
2. कृपालसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।
........प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट

3. अभयवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
4. जयवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
5. युवराज पुत्र धर्मवीर, जाति जाट
6. महावीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
7. श्यामवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
8. कृष्णवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
9. आशा पत्नी बाबूसिंह
10. जयवीर पुत्र बाबूसिंह
11. देवकुमार पुत्र बाबूसिंह
12. सोनिया पुत्री बाबूसिंह

(10 से 12) नाबालिगान वविलायत माता आशा पत्नी बाबूसिंह

13. इन्दरसिंह पुत्र बृजेन्द्रसिंह, जाति जाट
14. जगदीश प्रसाद पुत्र बृजेन्द्रसिंह, जाति जाट
15. मुन्दरा पत्नी भावसिंह, जाति जाट
16. दीपक पुत्र भावसिंह, जाति जाट
17. लाखनसिंह पुत्र बृजेन्द्रसिंह, जाति जाट
18. ओमवती पत्नी जगदीश प्रसाद, जाति गडरिया
19. धीरी पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
20. गुलाब पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
21. रामवीर पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
22. कन्हैयालाल पुत्र किशनसिंह, जाति जाट (मृतक)
23. चंदनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट
24. देवेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट
25. मूर्ति देवी पत्नी रतनसिंह, जाति जाट
26. राजेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट
27. नन्दलाल पुत्र बसंता जाति जाट
28. बुद्धोदेवी पत्नी नन्दलाल, जाति जाट
29. नरेशसिंह पुत्र घनश्याम, जाति जाट
30. रमेशचंद पुत्र घनश्याम, जाति जाट
31. सुरेश कुमार पुत्र घनश्याम, जाति जाट
32. प्रेमसिंह पुत्र घमण्डी, जाति जाट
33. बच्चूसिंह पुत्र घमण्डी, जाति जाट
34. रामसिंह पुत्र घमण्डी, जाति जाट
35. बदनसिंह पुत्र मोती, जाति जाट
36. शिवसिंह पुत्र मोती, जाति जाट (मृतक)
    36/1 जसवन्तसिंह पुत्र शिवसिंह
    36/2 पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह
    36/3 मिथलेश पत्नी स्व. श्री लाखनसिंह पुत्री शिवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मूडिया साद पोस्ट मूडियासाद तहसील वैर जिला भरतपुर।
    36/4 मन्तोदेवी पत्नी सन्तोष कुमार पुत्री शिवसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

36/5 भूदेवी पत्नी श्री सत्यप्रकाश पुत्री शिवसिंह
जाति जाट निवासी ग्राम अरदाया पोस्ट अछनेरा जिला आगरा (उ.प्र.)

36/6 बलवीरी पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

37. बलवेन्द्र सिंह पुत्र हीरा, जाति जाट
38. रविन्द्रसिंह पुत्र हीरा, जाति जाट
39. महाराजसिंह पुत्र दर्यावसिंह, जाति जाटव
40. राजेन्द्र पुत्र दर्यावसिंह, जाति जाटव
41. विजयसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
42. ज्ञानसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
43. निरंजनसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
44. भरतसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
45. रुकमणी पत्नी श्रीचंद जाति जाटव
46. श्यामलाल पुत्र मनीराम, जाति जाट (मृतक)
    - 46/1 करनसिंह पुत्र श्यामलाल
    - 46/2 उदयभान पुत्र श्यामलाल
    - 46/3 दिनेश पुत्र श्यामलाल
    - 46/4 सिराजो पुत्री श्यामलाल
    - 46/5 शीला पुत्री श्यामलाल
    - 46/6 शकुन्तला पुत्री श्यामलाल
47. शकुन्तला देवी पत्नी श्री औंकारसिंह, जाति जाट
48. राजकुमारी पत्नी धर्मवीर, जाति जाट

    निवासीयान ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

49. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 97/2021 बउनवानी अर्जुन बनाम कृपालसिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री नरेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 06.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 97/2021 बउनवानी अर्जुन बनाम कृपालसिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी मद सं. 2 वर्णित वादपत्र वाके ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर स्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण असल व तरतीवी की शामिल काश्त की आराजी है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में वादी के हिस्से का विभाजन कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर किया जाकर वादी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का विभाजन किया जावे व वादी के हिस्से का अलग से खाता व पर्चा लगान जारी किया जावे एवं प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट धौरमुई पर रखी जाकर दिनांक 14.10.2021 को निर्णय पारित कर उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार उपमन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा सही तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया जिसमें पक्षकारों की सम्पूर्ण संयुक्त काश्त व खातेदारी की आराजी को सम्मिलित नहीं किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की संयुक्त काश्त व सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 114, 123, 128, 129, 133, 135, 137, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 173, 178, 223, 235, 262, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 729, 742, 764, 784, 807, 816 किता 39 रकबा 7.740 है0 को दावा में सम्मिलित नहीं किया गया। किसी भी सूरत में आंशिक बंटवारा नहीं किया जा सकता। सह–खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी का बंटवारा किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन डिक्री व आदेश न्यायालय को धोखा देकर सही तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.10.2021 को वकालतनामा पेश किया था तथा जबाबदावा पेश करने को समय चाहा गया। अन्य प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का भी जबाबदावा पेश नहीं हुआ है तथा जबाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना सभी रेस्पोडेन्ट को सुने बिना डिक्री व आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत व विधिविरुद्ध है। उक्त अपलाधीन आदेश व डिक्री कहीं भी यह प्रकट नहीं होता है कि पक्षकारान मुकदमा डिक्री व आदेश पारित करने में सहमत हों पक्षकार की उपस्थिति मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलान्ट्स अपीलाधीन आदेश से सहमत हो गया अथवा अपीलाधीन आदेश व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट में डिक्री पारित की गई है जो पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित की गयी है इसलिये अपीलाधीन आदेश व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश व डिक्री दिनांक 14.10.2021 अपास्त फरमाई जावे तथा खर्चा मुकदमा हरदो अदालतेन अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से दिलाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 307/0.27, 429/0.26, 430/0.26, 431/0.26, 432/0.22, 433/0.29, 434/0.13, 435/0.26, 436/0.09, 437/0.12, 438/0.19, 439/0.20, 440/0.24, 441/0.21, 443/0.24, किता 15 रकवा 3.24 हैक्टेयर वाके ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी 1/39 हिस्से का सह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी खसरा नम्बर 815/0.10 किता 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रकवा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी 1/3 हिस्से का सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल व तरतीवी की शामिल काश्त की थी जिसका कानूनी रुप से कोई विभाजन नहीं हुआ था। किन्तु अब वादी का प्रतिवादीगण असल के साथ शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा था इसी कारण वादी/रेस्पोडेन्ट उपरोक्त आराजी में अपने हिस्से का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर कराकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का विभाजन करा पाने का अधिकारी था तथा अपने हिस्से का अलग से खाता व लगान जारी करा पाने का अधिकारी था। इसी कारण वादी/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 14.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट धौरमुई पर रखकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भरतपुर से कुर्रा रिपोर्ट तलब करने आदेश पारित कर दिये जो विधिसम्मत रुप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2021 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 15.11.2021 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अर्जुन सिंह पुत्र भगवान सिंह रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था कि वादपत्र की मद सं. 2 में वर्णितानुसार खसरा नम्बर 307/0.27, 429/0.26, 430/0.26, 431/0.26, 432/0.22, 433/0.29, 434/0.13, 435/0. 26, 436/0.09, 437/0.12, 438/0.19, 439/0.20, 440/0.24, 441/0.21, 443/0.24 किता 15 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर वाके ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर स्थित में से वादी के हिस्से अनुसार अलग–अलग कुर्रे बनाये जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कर अलग लगान कायम कर विभाजन में प्राप्त वादी के हिस्से पर अलग से कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा वादपत्र पेश करने के उपरान्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन करने के आदेश प्रदान किए एवं आगामी तारीख पेशी 05.10. 2021 नियत की गयी। तारीख पेशी 05.10.2021 को प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भोला सिंह ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जबाबदावा प्रतिवादी सं. 2 एवं शेष प्रतिवादीगण की इन्तजार तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.10.2021 नियत की गयी। आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प धौरमुई पर पेश कर उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली अभी शेष प्रतिवादीगण की तलबी इन्तजार में नियत थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में शेष रहें प्रतिवादीगणों की तामील कराये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी जो विधि सम्मत नहीं है। बंटवारे के वाद में विधिक प्रक्रियानुसार सभी प्रतिवादीगणों को तामील उपरान्त उनके द्वारा पेश जबाबदावा के बाद वादपत्र एवं जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर विधिवत वादी साक्ष्य, प्रतिवादी साक्ष्य, पक्षकारान द्वारा पेश दस्तावेजात को प्रदर्शित करते हुए ही प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सीधे ही कोर्ट कैम्प में रख कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो कतई विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं हैं साथ ही न्यायालय हाजा में अपील सं. 105/2021 उनवानी अर्जुन सिंह बनाम राजवीर सिंह भी पेश की गयी है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 जो प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प धौरमुई पर ही पारित की गयी के विरुद्ध पेश की गयी है। जिसमें वादी अर्जुन सिंह जो इस अपील में रेस्पोडेन्ट है द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत पेश कर खसरा नम्बर 114, 123, 128, 129, 133, 135, 137, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 173, 178, 223, 235, 262, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 729, 742, 764, 784, 807, 816 किता 39 कुल रकबा 7.7400 हैक्टेयर वर्तमान खाता संख्या 20 एवं खसरा नम्वर 815/0.10 किता 1 वर्तमान खाता संख्या 21 वाके ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सहखातेदारी सहकाश्तकारी व सह कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाहिस्सा बराबर के सहखातेदार काश्तकार है। इसके साथ ही आराजी खसरा नम्बरान 307, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443 किता 15 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर वाके ग्राम सहनावली के बाबत बंटवारा चाहा है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री उसी दिनांक 14.10.2021 को ही पारित की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादों अर्थात वाद सं. 70/2020 एवं 97/2021 का अध्ययन ही नहीं किया कि उक्त खसरा नम्बर वाद सं. 70/2020 में विवादित है वही खसरा नम्बर वाद सं. 97/2021 में भी शामिल हैं। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में दो प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर अलग–अलग कुर्रे प्रस्ताव मंगवाये गये है जिससे अलग प्रस्ताव आने पर विसंगति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। इस स्थिति में दोनों दावों को समेकित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार शेष रहें प्रतिवादीगणों की तामील कराते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करें।
10. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर